बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

<u>ग्रामीण विकास विभाग,</u>

<u>बिहार, पटना ।</u>

पत्रांक 149343   पटना, दिनांक- 22.05.13

ग्रा0वि0 9 (ख0) BRDS 50/2013

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,</u>
सभी उप विकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- **मनरेगा अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की स्थानांतरण नीति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी की सामान्य परिषद के दिनांक 10.01.2013 की बैठक में मनरेगा कर्मियों के स्थानांतरण नीति संबंधी निर्णय लिए गए हैं । मनरेगा अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक, (PRS) पंचायत तकनीकी सहायक, (PTA) लेखापाल, (AO) एवं कनीय अभियंता (JE) का स्थानांतरण उनके पदस्थापन जिला अंतर्गत उनके गृह प्रखंड एवं वर्तमान कार्यरत प्रखंड को छोडकर उनके गृह प्रखंड के किसी पडोसी या नजदीकी प्रखंड या अन्य किसी प्रखंड में जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समीक्षोपरांत किया जा सकता है । स्थानांतरण प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक तीन वर्ष में जून माह में की जाएगी ताकि जुलाई माह तक आदेशों का अनुपालन सुचारू रूप से किया जा सके । यह स्थानान्तरण जून 2013 के अन्तिम सप्ताह में किया जाय ।

कार्यपालक अभियंता (EE) सहायक अभियंता (AE) तथा कार्यक्रम पदाधिकारी (PO) के स्थानांतरण से संबंधित दिशा निदेश अलग से जारी किए जाएगें ।

उक्त आदेश का अनुपालन जून 2013 से किया जाएगा ।

विश्वासभाजन,

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा ।